भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1523
26 जुलाई, 2022 को उत्तरार्थ

100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस

1523. श्री प्रतापराव जाधव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री रवि किशन:
श्री राम कृपाल यादव:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री सुब्रत पाठक:
श्री मनोज तिवारी:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवसर पर कौन-कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के उद्देश्य क्या है;
(ग) क्या सरकार नई सहकारी नीति और योजनाओं का मसौदा तैयार करने पर काम कर रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और
(ङ) सरकार द्वारा देश में समावेशी विकास के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास लाने हेतु सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई अन्य पहलों/उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) और (ख): जी श्रीमान। सहकारिता के 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर, भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के सहयोग से 'सहकारिता एक आत्मानिर्भर भारत और एक बेहतर दुनिया बनाएँ' विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के अलावा देश भर के हितधारकों ने व्यापक रूप से भाग लिया ।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय सह्कारी प्रशिक्षण परिषद् (एनसीसीटी) के माध्यम से 'सहकारिता प्रशिक्षण में अभिसरण और स्केलिंग अप' विषय पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया जिसमें सहकारी क्षेत्र के हितधारकों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का लक्ष्य सहकारी समितियों में जागरूकता और आंदोलन के विचार जैसे अंतर्राष्ट्रीय एकता, आर्थिक कुशलता, समता और विश्वशांति का प्रसार करना है ।

(ग) और (घ): देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर इसकी जड़े गहरी करने के लिए मंत्रालय, वर्तमान में एक नई सहकारिता नीति बनाने की प्रक्रिया में है । इस नीति को सभी हितधारकों के परामर्श से बनाया जा रहा है, जिसमें केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, सहकारी यूनियन व संघ, संस्थान और आम-जनता शामिल हैं ।

इसके अलावा, अनेक योजनाएं आरंभ की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

i) त्रिस्तरीय ग्रामीण ऋण अवसंरचना के सबसे निचले स्तर पर मौजूद 63,000 कार्यशील पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने के लिए 2516 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ "प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण" की एक केन्द्र प्रायोजित परियोजना स्वीकृत की गई है। यह परियोजना उनके प्रचालन में पारदर्शिता और दक्षता लाएगा ।

ii) राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी संघों और अन्य सभी हितधारकों के परामर्श से प्रारूप मॉडल उपनियम बनाए जा रहे हैं । पैक्स के मॉडल उपनियम का उद्देश्य उन्हें गांव/पंचायत स्तर पर एक जीवंत बहुउद्देशीय आर्थिक इकाई बनाना है ।

iii) हितधारकों के परामर्श से 'सहकार से समृद्धि' नामक एक नई योजना भी तैयार की जा रही है।

(ङ): भारत में सहकारी समितियों में पेशेवरता लाने के लिए विभिन्न हितधारकों के परामर्श से मौजूदा सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ़, पुनर्गठित और पुन:अभिमुख किया जा रहा है । इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण/प्रशिक्षण को मानकीकृत कर लाना है ताकि सहकारी समितियों को समावेशी विकास में योगदान के लिए अधिक कुशल और उत्पादक बनाया जा सके ।

****